

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना (मध्यप्रदेश)

मैहर, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्र. 42-1-5-अ-एस.सी.-1-2016.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् मैहर जिला सतना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

कुल वार्डों की संख्या—24

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया है (2)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक (3)
01	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड-04	02, 09, 18, 20
02	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड-02	03, 23
03	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड-06	07, 08, 11, 13, 14, 22
04	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड-02.	02, 18
05	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड-01.	03
06	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड-03.	08, 13, 14
07	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) कुल आरक्षित वार्ड-06.	04, 06, 10, 15, 21, 24
08	अनारक्षित कुल वार्ड-06	01, 05, 12, 16, 17, 19